राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :–146 / 2024

प्रकाश चन्द अहारी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्य वन बल), राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
4. उप वन संरक्षक, उदयपुर।

– प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 22.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रमेन्द्र बोहरा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गजेन्द्र सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड द्वितीय के पद पर विधि, कार्यालय वन संरक्षक, वन्य जीव, उदयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–4) के द्वारा वर्तमान पदस्थापित स्थान से विधि, कार्यालय उपवन संरक्षक, चित्तौडगढ़ में किया गया है। उनका मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 28.09.2023 के द्वारा क्षेत्रिय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर वादकरण, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), उदयपुर किया गया था, जिस पद पर उन्होंने दिनांक 05.10.2023 को कार्यग्रहण कर लिया था। वर्तमान में आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो अल्पावधि में ही किया गया है। अपीलार्थी का वर्तमान स्थानांतरण 5 माह पश्चात ही किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह कथन रहा है कि समान मामलों में जहां अल्पावधि में स्थानांतरण किया गया है, इस अधिकरण द्वारा अपील संख्या 105 / 2024 पप्पूसिंह राजपूत बनाम राजस्थान राज्य, अपील संख्या 106 / 2024 राय चन्द राम बनाम राजस्थान राज्य, अपील संख्या 104 / 2024 राधेश्याम गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य, एवं अपील संख्या 385 / 2024 हरिराम बनाम राजस्थान राज्य में स्थगन आदेश पारित किया गया। उनका यह भी तर्क है कि समान मामले में जहां एक बेंच द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है वहां पर अन्य समान मामले में भी अधिकरण को

स्थगन पारित करना चाहिए। उन्होंने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत (2012) 7 SCC page1 Utterpradesh power corporation ltd. Vs Rajesh Kumar and Ors. , न्यायिक दृष्टांत (2012) 7 SCC 462 Purbanchal and Conductors Private Ltd. Vs Assam State Electricity Board Ors- 2005 CDR 2476(Raj) (DB) Shashi Bala Meena Vs State of Rajasthan प्रस्तुत किया जहां माननीय उच्चतम न्यायालय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने समान मामलों संबंध में को एकरूपता रखने निर्देश दिए है।

3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी के संबंध में जो दिनांक 28.09.2023 का पदस्थापन आदेश है, वह पदोन्नति पश्चात् पदस्थापन का आदेश है। अपीलार्थी पूर्व में वनपाल के पद पर उपवन संरक्षक उदयपुर में कार्यरत था और अपीलार्थी का क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर वादकरण, कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक (वन्य जीव) उदयपुर में पदस्थापन किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी दिनांक 28.09.2023 के पूर्व से ही उदयपुर में कार्यरत है। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी का अल्प समय में स्थानांतरण किया गया हो। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होते है क्योंकि इस अधिकरण द्वारा अन्य मामलों में पारित स्थगन आदेश में तथ्य भिन्न थे। अपीलार्थी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अपीलार्थी उदयपुर में कितने समय से कार्यरत है, परन्तु स्पष्ट है कि अपीलार्थी दिनांक 28.09.2023 से पूर्व से ही उदयपुर में कार्यरत है। अतः अपीलार्थी को अल्प समय में एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जाना नहीं माना जा सकता है। नियोक्ता को अधिकार है कि वह अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि राज्य हित में व प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेनी है। ऐसे में स्थानांतरण आदेश को तब तक गलत होना नहीं माना जा सकता, जब तक उसमें कोई विधि की अवहेलना नहीं की गई हो अथवा आदेश दुर्भावनापूर्वक पारित नहीं किया गया हो।
4. प्रस्तुत प्रकरण में हम कानून की कोई त्रुटि होना अथवा दुर्भावना होना नहीं पाते है।
5. उपर्युक्त परिस्थितयों एवं तथ्यों को देखते हुए अपीलार्थी की अपील में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)